फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

भीखोदेवी बनाम अचली वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 241/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17 08 2021	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा थलेसों की ढाणी पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीनी वकील के कथनानुसार प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप करने व कच्चा–पक्का निर्माण करने तथा निश्चित भू–भाग का बैचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28/09/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा थलेसों की ढाणी पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या 393, 442 रकबा क्रमशः 4.4495, 3.6001 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28/09/2021 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

28/09/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामिल होकर तामिल फाइल। विपक्षी लोकेश की ओर से वकील श्री रिछपाल सियाग द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 06/10/21 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वनिर्देशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

06/10/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका है। इसलिए स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी का स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested